रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 299] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 1985/आषाढ़ 20, 1907
No. 299] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 1985/ASADHA 20, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई 1985

सं. 229/85-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 567 (अ).— केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 2 में

विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	72/85–सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 1985 ।	उक्त अधिसूचना में "इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "मंजूरी दी जाने के लिए सिफारिश करे," शब्दों से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा और लोप किए गए शब्दों के स्थान पर "छूट देती है" शब्द रखे जाएंगे ।
2.	133/85–सीमाशुल्क, तारीख 19 अप्रैल, 1985 ।	उक्त अधिसूचना में "इस शर्त के अधीन रहते हुए, छूट देती है कि" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "मंजूरी दी जाने के लिए सिफारिश करे," शब्दों से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा और लोप किए गए शब्दों के स्थान पर "छूट देती है" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 346/37/85–टी आर यू]

सी. वरदाराजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi the 11th July, 1985

No. 229/85—Customs

G.S.R. 567(E) :— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government being satisfied that it is necessaty in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner spcified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	72/85—Customs, dated the 17th Mrch, 1985.	In the said notification the portion beginning with the words "subject to the condition that the importer produces a certificate" and entering with the words "recommending grant of the above exemption" shall be omitted.
2.	133/85-Customs, dated the 19th April, 1985	In the said notification the portion beginning with the words "subject to the condition that the importer produces a certificate" and ending with the words "recommending grant of the above exemption" shall be omitted.

[F. No. 346/37/85—T.R.U.]

C. VARADARAJAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985